हिन्दी बोलने और लिखने में गर्व महसूस करें

- श्री प्रदीप कुमार उनियाल

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली "हिन्दी" को संघ की 'राजभाषा' का दर्जा तो अवश्य दिया गया है परन्तु जमीनी सच्चाई क्या है ? इस तथ्य से हम सभी भली-भाँति अवगत हैं । देश को आज़ाद हुए आज 55 वर्ष से अधिक हो चुके हैं फिर भी हमारी उपेक्षा, अनदेखी, हीन भावना और अंग्रेजी के मोह ने हमें अंग्रेजी का दामन थामने के लिए मजबूर कर रखा है । आखिर कब तक हम इस भाषायी बैशाखी का सहारा लेकर चलते रहेंगे । इन वर्षों में हमने अंग्रेजी के रूप को तो बिगाड़कर रख ही दिया है साथ ही जिस हिंदी ने स्वतंत्र भारत की पहचान बनकर ज्ञान-विज्ञान और साहित्य -प्रशासन आदि क्षेत्रों में अभिव्यक्ति का एक सहज साधन बनकर हमारा गौरव बढाना था, उसी हिंदी को भी हमने बिगाड़ दिया है । यहाँ पर यह कहना उपयुक्त होगा कि "दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम" । आज़ हमारी स्थिति यह है कि अग्रेजी हम इसलिए ठीक से नहीं जानते हैं क्योंकि यह हमारी अपनी भाषा नहीं है और हिंदी हम इसलिए स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं क्योंकि इसकी हम उपेक्षा करते हैं ।

हर भाषा अपनी धरती की उपज होती है । यह उस धरती की संस्कृति, परम्परा, अनुभूति और विरासत की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है । उसके बिना न विचार विनिमय किया जा सकता है और न ही आत्मविस्तार । आत्मविस्तार का आशय है अपने सुख-दु:ख का दूसरे को अनुभव कराना और दूसरे के सुख-दु:ख को समझना । यह सिर्फ अपनी भाषा ही कर सकती है । दूसरी भाषा तो उस 'आया' की तरह है जो बच्चे की देखभाल तो कर सकती है परन्तु उसे माता की आत्मीयता नहीं दे सकती है । हिंदी हमारे संस्कार की भाषा है जिसमें हम पले-बड़े हुए हैं । इसमें हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता किसी अन्य भाषा से कई गुनी ज्यादा है । यह हमारी बोल-चाल की भाषा है अतः इसमें हम अपनी हर बात को दूसरे तक सार्थक रूप में पहुँचा सकते हैं और दूसरे की बात ठीक ढंग से समझ सकते हैं ।

दूसरी तरफ अंग्रेजी की बात कीजिए ! कुछ लोग अंग्रेजी लिखने में अपनी शान समझते हैं । वे कोशिश करते हैं कि ऐसे क्लिष्ट और अटपटे शब्द इस्तेमाल किए जाएं जिससे पाठक को शब्दकोश जरूर देखना पड़े । कई बार तो यह नौबत आ जाती है कि क्लिष्टता के चक्कर में अर्थ

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की- 247667

का अनर्थ हो जाता है । दूसरी तरफ भी यही आलम है पाठक भी तो यही मानता है कि अंग्रेजी लिखने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है । दरअसल यह हर भारतीय की मनोवृत्ति है उसे दूसरे मुल्कों के लोग, उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, वस्त्र-कपड़े,उनकी भेषभूशा, उनकी भाषा ज्यादा अच्छी लगती है । यही वजह है कि कई बार हमें अपने देश में बनी वस्तु को विदेशी कहकर बेचना पड़ता है ।

हिन्दी भाषा बहुत ही सहज और सरल है । यह जन-मानस की सम्पर्क भाषा है । अंग्रेजी में आप जो सोचते हैं हू-बहू उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी चिन्तन की भाषा तो हिन्दी है इसलिए जब आप अंग्रेजी बोलने की कोंशिश करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पहले हिंदी में सोचना पड़ता है और फिर इसे अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित करना पड़ता है । मुझे यह देख-सुनकर बहुत अफसोस होता है कि अपनी भाषा को ऐसी हीन भावना से क्यों देखा जाता है । मैंने कई बार दिल्ली में रहते हुए यह महसूस किया है कि कई लोग अंग्रेजी बोलने में अपने आपको प्रभावशाली समझते हैं । लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं चाहे उनकी अंग्रेजी बिना सिर-पैर के ही क्यों न हो । अपने घर परिवार मे ही देख लीजिए अंग्रेजी कैसा असर डाला है । ब्रैकफास्ट, लंच और डिनर करते है क्योंकि कलेवा/नाश्ता, खाना या भोजन से भूख न मिटती हो । घर में मम्मी, डैडी, ब्रदर और सिस्टर होते हैं । माता जी आव्र पिता जी तो गंवार लोग बोलते हैं । जन्म दिन नहीं हम तो बर्थ डे मनाते हैं इसी से तो हम हैप्पी होते हैं वरना खुशी कैसी ? ओ.के., टाटा, बाय-बाय और हाय हाय मची हुई है । आप आजकल के स्कूली बच्चों और छात्र छात्राओं को बात करते सुनेंगे तो दो मिनट के अन्दर आपको "हाय" " या" "यू नो " "आई नो" " आई सी" " यू सी" " सौरी यार" "कम ऑन प्लीज" "सी यू" "थैंक यू" "सैट अप यार" आदि शब्द सुनने को मिलेंगे । दरअसल ये शब्द उनके लिए सहायक शब्द का काम करते हैं जहां पर अटकते हैं, वहां इनका प्रयोग कर लेते हैं ।

हिंदी का अपना एक इतिहास है अपनी परम्परा अपना संस्कार है यहाँ पर हर रिश्ते-नाते के लिए शब्द नियत हैं, जबकि अग्रेजी को देखिए इसमें चाचा, मामा, फूफा सभी अंकल हैं, भाभी व साली दोनों ही सिस्टर इन लॉ, चाची, पूफू, मामी इत्यादि सब 'आंटी' हैं । बताइए ! आप इनकी संकल्पना कैंसे समझेंगे कि आप किसे संबोधित कर रहे हैं चाची को या मामी को । असलियत यह है कि हम अपनी संस्कृति ,सभ्यता और परम्परा को भूल रहे हैं और दूसरी भाषा एवं सभ्यता को अपनाकर अपने आप को मॉर्डन (आधुनिक) समझने की भूल कर रहे हैं ।

हिन्दी के साथ -साथ आप दफ्तर में उन कर्मचारियों की दशा देखें जिन्हें हिंदी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेवारी दी गई है। उन बेचारों से काम तो अंग्रेजी का लिया जाता है और साथ में उन्हें लोगों के परिहास का शिकार भी होना पड़ता है। लोग कहते हैं 'अरे यार वो तो हिंदी वाला है' यानि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हैं उसे दीन-हीन समझा जा रहा है। उसे अनपढ़ समझा जाता है। एक दिन तो मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक आम सभा में मुझे "ओ हिंदी वाले, हटा अपनी हिंदी-विंदी को" कहकर पुकारा। उनके इस संबोधन में व्यंग्य और अपमान दोनों ही छिपे हुए थे। मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक "सब्जी वाले" की ही तरह हूँ जिसे लोग "ओ सब्जी वाले" कहकर अवाज़ लगाते हैं। यद्यपि उन अधिकारी महोदय को राजभाषा हिंदी के इस उपहास और अपमान के लिए काफी लज्जित होना पड़ा, तथा आज भी मेरे जहन में वे शब्द गूँज रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी मत लिखो-पढ़ो परन्तु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने ही देश में हिंदी की इज्ज़त न हो।

हिंदी से पीछा छुड़ाने के लिए कई लोग तर्क देते हैं कि अगर हिंदी ही माध्यम रहा तो देश विकास नहीं कर पाएगा, हम पिछड़ जाएंगे और अंग्रेजी से देश का विकास होगा। यह सर्वथा गलत है। वे बेवजह ही अंग्रजी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। शायद ये भाई जापान, चीन और रूस के बारे में नहीं जानते कि उनकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं और आज वे विश्व के विकसित देश हैं। अंग्रेजी न होने से इनका विकास कैसे हुआ ? यह सब हमारा भ्रम है क्योंकि हम तो अभी भी भाषायी तौर पर गुलाम हैं। अपनी हिंदी कितनी स्पष्ट, समृद्ध और सहज है हमें इसके प्रयोग में सोचना नहीं पड़ता है, जबकि अंग्रेजी के लिए हम पहले अपने मस्तिष्क में हिंदी में उसकी संकल्पना बैठाते हैं और उसके बाद इसका अंग्रेजी रूप बनाते हैं। ऐसा करने से व्याकरण संबंधी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार जब उपयुक्त शब्द नहीं मिलता तो हम उसे हिंदी में ही कह देते हैं जैसे एक सज्जन कह रहे थे, "I will not do any भाई-बंदी"। अरे ये क्या मज़ाक चल रहा है जब अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी या अपनी जुबान क्यों नहीं बोलते ? अपनी भाषा बोलने में शर्म या झिझक कैसी ? मैंने यहाँ तक देखा है कि हिंदी के कार्यक्रमों में अंग्रेजी में भाषण दिया जाता है। यह कितनी शर्मनाक बात है। उन लोगों को इस पर चिन्तन करना चाहिए जो अंग्रेजी के दास हैं। अपनी भाषा का प्रयोग कितना सहज और सरल है। इसके प्रयोग में उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए।

बड़े-बड़े ओहदों पर विराजमान व्यक्ति हिंदी दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश संप्रेषित करते हैं कि आओ संकल्प लें सरकारी कामकाज हिंदी में करें। परन्तु विडंबना यह है कि यह संदेश मियादी होता है कुछ ही दिनों बाद सभी इस संकल्प को भूल जाते हैं और फिर इसकी याद आती है ठीक

अगले हिंदी दिवस पर। वर्षो से यही परम्परा दोहराई जा रही है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरह के कागजी संकल्प लेते हैं उन्हीं के बच्चे इंग्लैण्ड और अमेरिका में पड़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी लिखना तो दूर अपने देश के महापुरुषों के नामों का उच्चारण तक ठीक से करना नहीं आता, वे उन्हें "कृष्णा"और "रामा" कहते हैं।

मेरा यह सुझाव है कि हिंदी के प्रयोग के लिए निश्चित रूप से कोई सख्त कानून बनाया जाना चाहिए जिसे भारतवर्ष् के सभी प्रदेशों में समान रूप से लागू किया जाए। राजभाषा नियमों को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी प्रान्त ने इसका विरोध किया तो उसे इस नियम के प्रावधानों से मुक्त कर दिया। हिंदी के प्रचार -प्रसार के नाम पर बड़े - बड़े आडम्बर न रचे जाएं, कोई दिखावा न किया जाए। बेहतर यह होगा कि इन आडंबरों पर किए जाने वाले खर्च को अहिन्दी भाषी लिगों को दिए जाने वाले हिंदी प्रशिक्षण में लगाया जाए। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अपनी ही भाषा में काम करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। आज जरूरत है हिंदी के प्रयोग के प्रति मन में सत्य निष्ठा की। यदि हर व्यक्ति सच्चे मन से हिंदी में काम करने का संकल्प ले ले तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी पूर्ण रूप से अपने देश में राज करने लगेगी। अतः हिंदी को उचित सम्मान दें इसे बोझ या मजबूरी न समझें। हिंदी के प्रति मन में पनपी हीन भावना को मिटा दें और गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है।

जय हिन्द - जय हिन्दी ।

मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता।

* विनोबा भावे *